कार्यालय मुख्य वन सरंक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांकः– 1350 /11–सी–FP/UP/Road/117639/2021, लखनऊ, दिनांकः नवम्बर 28 ,2023

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
मीरजापुर क्षेत्र,
मीरजापुर।

विषयः– जनपद–सोनभद्र के अंतर्गत ओबरा वन प्रभाग में पी0एम0जी0एस0वाई0 द्वारा स्वीकृत पैकेज सं0–यू0पी0 67145 के मार्ग चोपन महलपुर रोड से परसोई वाया खेवन्धा ओबरा डैम सम्पर्क मार्ग में प्रभावित 15.567 हे0 आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 34 वृक्षों के पातन की अनुमति के संबंध में।

संदर्भः– इस कार्यालय का पत्रांक–820/11–सी– FP/UP/Road/117639/2021, दिनांक 25.11.2023 एवं आपका पत्रांक–1975/मी0क्षे0/33, दिनांक 25.11.2023

महोदय,

इस कार्यालय के उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रकरण में इंगित की गयी कमियों का निराकरण आपने अपने उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनांक 25.11.2023 द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है, जिसके परीक्षणोपरान्त पुनः निम्नलिखित कमियाँ/अभिलेखों का अभाव पाया गया:–

<u>ऑनलाइन पार्ट–1 में प्रयोक्ता एजेंसी के स्तर पर पायी गयी कमियॉः–</u>

1. ऑनलाइन के क्रमांक–C-ii(b) में प्रस्तावित वनभूमि की के0एम0एल0 फाइल के स्थान पर प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा दी जाने वाली गैर वनभूमि की के0एम0एल0 फाइल अपलोड है। अतः इसे डिलिट कर प्रस्तावित वनभूमि की के0एम0एल0 फाइल यथास्थान पर अपलोड करें।
2. ऑनलाइन के क्रमांक–C-iii एवं क्रमांक–C-iv में प्रस्तावित वनभूमि की SoI Toposheet एवं Geo Referenced Digital Map के स्थान पर प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा दी जाने वाली गैर वनभूमि की SoI Toposheet एवं Geo Referenced Digital Map अपलोड है। अतः इसे डिलिट कर प्रस्तावित वनभूमि की SoI Toposheet एवं Geo Referenced Digital Map यथास्थान पर क्रमशः अपलोड करें।
3. ऑनलाइन के क्रमांक–L-(iv) (g), Copy of Mou/agreement executed between the Present owner and the User Agency में परियोजना का स्वीकृत आदेश अपलोड है। अतः इसे डिलिट कर गैर वनभूमि का Present owner एवं User Agency के बीच Mou/Agreement की कापी यथास्थान अपलोड करें।
4. ऑनलाइन के क्रमांक–L-(iv)(d) में 13.134 हे0 अवनत वनभूमि के कम्पाटमेन–7 के स्थान पर अवनत वनभूमि का क्षेत्रफल 15.74 हे0 एवं कम्पाटमेन–6 अंकित किया गया है। अतः इसे डिलिट कर अवनत वनभूमि का क्षेत्रफल 13.134 हे0 एवं कम्पाटमेन–7 अंकित करें।

<u>ऑनलाइन पार्ट–2 में प्रभागीय वनाधिकारी के स्तर पर पायी गयी कमियॉः–</u>

1. प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा सी0ए0 की चेक लिस्ट (चेक लिस्ट संलग्न) ऑनलाइन अपलोड नहीं किया गया है।

अतः उपरोक्त इंगित कमियों का निराकरण के पश्चात् बिन्दुवार निराकरण ऑनलाइन अपलोड कर पूर्ण ऑनलाइन प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अनुपम गुप्ता)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

<u>पत्रांकः– 1350 /11–सी–FP/UP/Road/117639/2021, दिनांकित।</u>

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा वन प्रभाग, ओबरा।
2. अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लो0नि0वि0, सोनभद्र।

(अनुपम गुप्ता)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

P-1542

क्षतिपूरक वृक्षारोपण (CA) हेतु चयनित स्थल की चेक लिस्ट

क्रम सं0	बिन्दु	टिक बाक्स (/X)
1	चयनित स्थल केवल वन ब्लाक में हो। वृक्षारोपण हेतु रोड साइड स्थल का चयन न किया जाये।	
2	वानस्पति घनत्व 0.4 से कम हो।	
3	चयनित स्थल प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से भी पूर्णतः उपयुक्त हो।	
4	किसी भी तरह का अतिक्रमण व अधिभार न हो।	
5	किसी भी तरह का कृषि कार्य न हो रहा हो।	
6	स्थल का मौके पर निरीक्षण कर/कराकर वृक्षारोपण हेतु स्थल पूर्णतः उपयुक्त है, सुनिश्चित करें।	
7	चयनित स्थल का गूगल अर्थ पर प्राथमिक परीक्षण कर यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि क्षेत्र वृक्षारोपण हेतु मानकों के अनुरूप है।	
8	पूर्व में किसी अन्य योजना के अंतर्गत वृक्षारोपण न कराया गया हो।	
9	यदि चयनित स्थल पर किसी अन्य योजना के अंतर्गत पूर्व में वृक्षारोपण कराया गया हो तथा वृक्षारोपण असफल हो गया हो तो इस संबंध में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा वांछित औपचारिकताएं, स्थल निरीक्षण रिपोर्ट तथा इस क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जा सकता है, संबंधी स्पष्ट प्रमाण पत्र लगा होना चाहिए।	
10	यदि चयनित स्थल पर पूर्व से ही लैण्टाना की झाड़ियॉ अथवा घास–फूस विद्यमान हो तथा स्थल का घनत्व 0.4 से कम हो एवं वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त हो तो प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्ताव में अवश्य संलग्न किया जाये।	
11	05 हे0 से अधिक वृक्षारोपण (CA) क्षेत्र का DSS Analysis आई0टी0 सेल से कराया जाये।	

प्रभागीय वनाधिकारी,
उ0प्र0 ।